

562

FORM-I
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal.

No. 3111/26-साठपत्रा ७ अदिारी - 2014-015

Dated 15/05/2015

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

Compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-955- pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued proposed to be diverted in favour of public work department (name of User-Agency) for Construction Division, PWD bajrao) (purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of Construction of Naulapur-khetu-kedargali-konagad-ghodiyana motor road in Garhwal District villagers (s) in Thalisain tehsil.

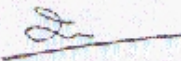
It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.430 hectares of forest and van panchayat land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1, 2 and 3 to 5 annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the fra have been completed and the gram sabha have given their consent to it,
- (c) The each of concerned gram sabha (s) has certified that all formalities/processes under the FRA have proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre-agricultural communities

Encl. As above.

चन्द्रा शैखर भट्ट (सहायक)
निर्माण

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
बेजरी (गढ़वाल)


(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal
Garhwal

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No. 3111/26^{File} 92110 मजिस्ट्रेट - 2014-015

Dated 15/05/15

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.430 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD Baijro (name of user agency) for **Noulapur-Khetu-Kedargali-Konagad-Ghodiyaana Birokhal Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district fall within jurisdiction of **Noulapur, Khetu, Kedargali, Konagad, Ghodiyaana** village (s) in Thalisa tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Right committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure... 1... to... 5... annexure... 5...
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. copy of certificate issued by the gram sabha of Sinduri villages(s) is enclosed as annexure... 5... to annexure... 1...;
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl :- As above.

सत्यमेव जयते

under

सहायक अभियन्ता
विमाण खण्ड, लो० नि० वि०
देवरी (गढ़वाल)

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal
DM/Collector
Garhwal

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Chandra Shekhar Bhatt I.A.S** deputy commissioner **Pauri Garhwal** on dated 15.12.2015 at time 1:30 P.M......at **Pauri** in which application claiming rights in **Khatli** area measuring **2.430** hect for the **Construction of Naulapur-Khetu-Kedargali-Konagad-Ghodiya-Bironkhal Motor Road in Bironkhal Block, District Garhwal** regarding forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Thalisain** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

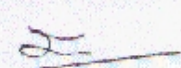
Place - Pauri

Dated - 15/5/2015

सहायक अभियन्ता

निर्माण

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड को. नि. वि.
बेजरी (गढ़वाल)


Deputy Commissioner-cum-
Chairman
District Level Committee
Distt Collector
Garhwal

दिनांक 15.5.2015 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1- स्व. श्री चन्द्रशेखर भट्ट	जिलाधिकारी गढ़वाल	अध्यक्ष
2- श्री राजमणि पाण्डेय	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	सदस्य
3- श्री रतन सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य
4- श्री यशपाल पटवाल	जिला प्रचारित सदस्य	सदस्य

बताया गया कि थलीसैण ब्लॉक में नौलापुर-खेतू-केदारगली-कोणागाड़-घोड़ियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्ग हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है :-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौलापुर-खेतू-केदारगली-कोणागाड़-घोड़ियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग : इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित दिबोली-बन्दरकोट-धबडिया-केदारगली मोटर मार्ग के अन्त से आरम्भ हो कर एन०एच० 121 में 7.950 कि०मी० लम्बाई में बीरोंखाल के जुड़ेगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम 1. नौलापुर, 2. खेतू, 3. केदारगली, 4. कोणागाड़, 5. घोड़ियाणा, 5. बीरोंखाल की लगभग 691 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें 1.050 कि०मी० लम्बाई में सिविल वनभूमि 1.050 कि०मी० में सिविल वनपंचायत भूमि एवं 5.250 कि०मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोंपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

स्वयं अति उत्प्रेषित

unfz

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बैजरी (गढ़वाल)

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसैण से प्राप्त थलीसैण ब्लॉक में नौलापुर-खेतू-कंदारगली-कोणागाड-घोडियाणा-बीरेंखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि क्रमशः 0.945 है० सिविल वन पंदायत भूमि 1485 है० इस प्रकार कुल वनभूमि 2430 है० लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनाहेत में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(चन्द्रशेखर भट्ट) आई०ए०एस०
District Collector
Gadwal

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो, गढ़वाल

पत्रांक 686 / 14 सी

दिनांक 15-05-2015

- प्रतिलिपि -
- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- प्रमाणीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर०पी० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बैजरो (गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बैजरो (गढ़वाल)

(61)

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Naulapur-Khola-Kedargali-konagad-ghodiyana-Bironkhal Motor Road in Bironkhal Block, District Garhwal regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 2,430 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

शमाल गुडवाल
सदस्य
मिला क्षेत्र
(29) विभाग दोरीवाल
Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal
वीपी बसुनारा

विभागीय प्रशासक
सहायक प्रशासक
डीडी

Executive Engineer
P.W.D. Division Baijro

15.5.2015
Deputy Commissioner
Pauri Garhwal
District Collector
Bironkhal

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
विभाग लखन. लो. नि. वि.
बीजरी (गढ़वाल)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- विकास खण्ड बीरीखाल में नौलापुर - खेतु - केदारगली - कोणागाड - छोडिपाना - बीरीखाल मोटर मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 10.00 कि०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीपेग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीपेग

उपखण्ड थलीपेग परिक्षेत्र के अन्तर्गत नौलापुर - खेतु - केदारगली - कोणागाड - छोडिपाना मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि, थलीपेग हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.945 हे० वन पंचायत भूमि 1.489 अर्थात् कुल 2.430 हे० वन भूमि) का निर्माण विकास खण्ड लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीपेग) की दिनांक 02.05.2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री उप जिलाधिकारी उपजिलाधिकारी थलीपेग अध्यक्ष
- 2- श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी थलीपेग सदस्य
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी थलीपेग सदस्य / सचिव
- 4- श्री बी०डी०सी० क्षेत्र बी०डी०सी० क्षेत्र थलीपेग सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नौलापुर - खेतु - केदारगली - कोणागाड - छोडिपाना - बीरीखाल मोटर मार्ग

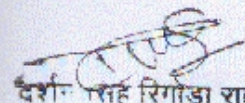
निर्माण कार्य लम्बाई 10.000 किलोमीटर परियोजना हेतु 2.430 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बीजरी पंचायत गढ़वाल उपखण्ड

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मानला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

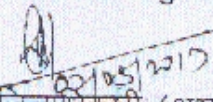
संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थलीपेग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० दि०
बीजरी (गढ़वाल)

बैदक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 24.00.1981 परिक्षेत्र के अन्तर्गत
~~नौनापुर-खैर-कैदापुर-कोठागढ़-धोडिवाल-बीरोवाल~~ परियोजना के निर्माण हेतु 24.4.80
 10 वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
 प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

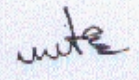

 दर्शन सिंह रिगोडा रायत

ब्लाक प्रमुख सहायक सभा कमल अधिकारी
 क्षेत्र बंधायत बीरोवाल (पौड़ी गढ़वाल)
 वि० अ० बीरोवाल बंधवाल वन वि० (पौड़ी)

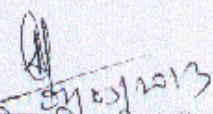

 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील 24.00.1981
 जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षमा प्रति सम्पादन



सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 बीरो (गढ़वाल)


 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील 24.00.1981
 जनपद पौड़ी गढ़वाल

:: प्रारूप-30.3 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में नौलापुर-खेतु-केदारगली-कोणागाड़-घोडियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य, लम्बाई 10.000 कि०मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - नौलापुर
तहसील थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

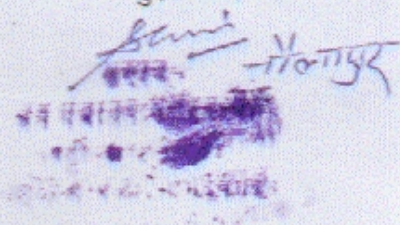
उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नौलापुर-खेतु-केदारगली-कोणागाड़-घोडियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 10.00 कि०मी० के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल सोयन भूमि, 1.485 हे० वन पंचायत भूमि। अर्थात् कुल 2.430 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

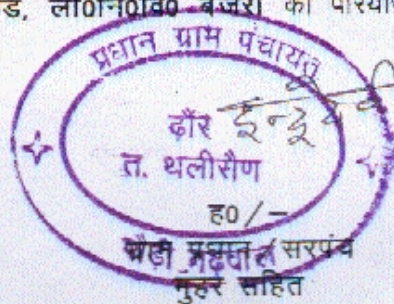
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौलापुर द्वारा दिनांक 4/12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौलापुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजपुरी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित





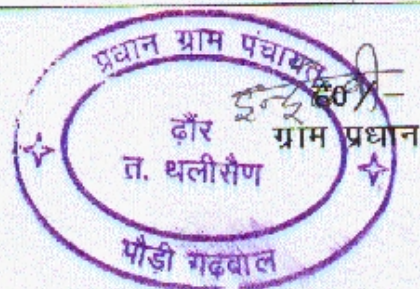
:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 4-11-12 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नौलापुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राम लाल S/O सुशांती राम	Ram Lal
2	मोहन लाल S/O सुशांती राम	Mohan Lal
3	राजेश कुमार S/O मनी लाल	Rajesh
4	उमराम सिंह S/O चन्दर सिंह	Umaram Singh
5	यशवन्त सिंह S/O चन्दर सिंह	Yashwanth Singh
6	कुमेश सिंह S/O चन्दर सिंह	Kumesh Singh
7	जोत सिंह S/O भख्खन सिंह	Jot Singh
8	अमर सिंह S/O विशान सिंह	Amar Singh
9	मनवर सिंह S/O आनन्द सिंह	Manvar Singh
10	सुनीता देवी W/O भरत सिंह	Sunita Devi
11	आनन्दी देवी W/O सुरेश सिंह	Anandi Devi
12	शकुन्तला देवी W/O बालू सिंह	Shakuntala Devi
13	वसन्ती देवी W/O सत्येन्द्र सिंह	Vasanti Devi
14	चन्दा देवी W/O बन्नी राम	Chanda Devi
15	कान्ति देवी W/O इशान चन्द	Kanti Devi
16	विमला देवी W/O दिनेश सिंह	Vimla Devi
17		
18		

(Signature)
नौलापुर



:: प्रारूप-30.3 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में नौलापुर-खेतु-कंदारगली-कोणागाड़-घोडियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य, लम्बाई 10.000 कि०मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम रिन्ही की गाँव - खेतु
तहसील थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नौलापुर-खेतु-कंदारगली-कोणागाड़-घोडियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 10.00 कि०मी० के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.485 हे० वन पंचायत भूमि। अर्थात् कुल 2.430 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

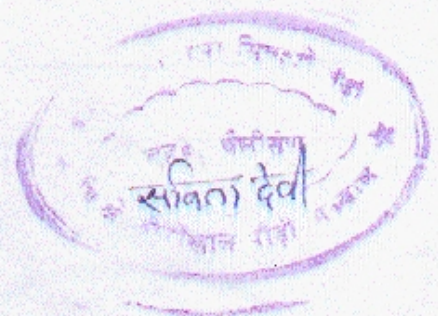
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिन्ही की गाँव द्वारा दिनांक 21/12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पर्श किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खेतु के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

रिन्ही की गाँव
ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत
पौड़ी गढ़वाल



:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 2^{11/2} को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खेत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामा देवी W/O लाल सिंह	रामा देवी
2	सत्या देवी W/O मनवर सिंह	सत्या देवी
3	कपोतरी देवी W/O दान सिंह	कपोतरी देवी
4	बलवीर सिंह S/O गोविन्द सिंह	बलवीर देवी
5	वासुदेव ध्यानी S/O शालिक राम	वासुदेव
6	दिनेश चन्द्र S/O भवानी देव	दिनेश
7	अम्बरीष प्रसाद S/O गोविन्द राम	अम्बरीष
8	सुरेशानन्द S/O	सुरेश
9	रघुवीर सिंह S/O कन्हैया सिंह	रघुवीर सिंह
10	सजय S/O जयानन्द धौलाखाणसी	सजय प्रसाद
11	उमेश सिंह S/O रामा सिंह	उमेश सिंह
12	राजीव सिंह S/O गोविन्द सिंह	राजीव सिंह
13	राजेश्वर S/O गोविन्द सिंह	राजेश्वर सिंह
14	लक्ष्मी देवी W/O प्रकाश	लक्ष्मी देवी
15	संजय देवी W/O संजय	संजय देवी
16	सुमन देवी W/O दिनेश चन्द्र	सुमन देवी
17		
18		

ह0/-



:: प्रारूप-30.3 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में नौलापुर-खेतु-केदारगली-कोणागाड़-घोडियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य, लम्बाई 10.000 कि०मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम सिन्धुड़ी-बडी ग्राम-कोणागाड़
तहसील थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नौलापुर-खेतु-केदारगली-कोणागाड़-घोडियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 10.00 कि०मी० के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.485 हे० वन पंचायत भूमि। अर्थात् कुल 2.430 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिन्धुड़ी-बडी द्वारा दिनांक 21/2 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

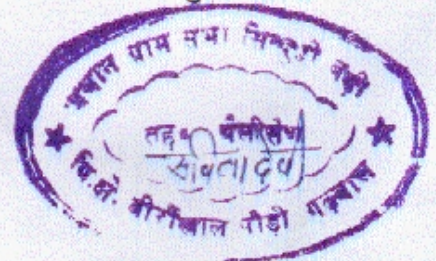
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोणागाड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित

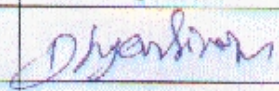
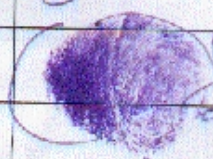
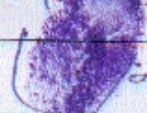
कुमनदेवी
आपत्ती सुपरी
सदस्य
वायव्य 25 माई सिन्धुड़ी
3000 बीरोंखाल
जनपद पौड़ी गढ़वाल

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



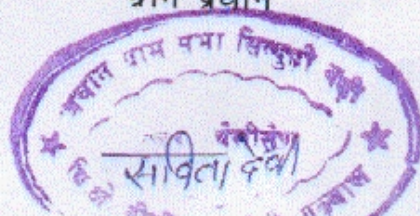
दिनांक २१/१२ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिन्धी कडी तालुका - कोणागाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री ध्यानसिंह विष्ट S/O स्व. गंगाधर सिंह	
2	श्रीमती कमला देवी W/O ध्यानसिंह	कमला देवी
3	मालासिंह विष्ट S/O देवनाथ सिंह	मालासिंह
4	बसन्ती देवी W/O गोविन्दसिंह	गोविन्द देवी
5	रमेश दासी देवी W/O जगन्नाथसिंह	रमेश देवी
6	गवर्धन सिंह S/O रामा सिंह	गवर्धन सिंह
7	सुमिता देवी W/O गवर्धन सिंह	सुमिता देवी
8	दिग्गज देवी W/O स्व. भर्तृहरि सिंह	 दिग्गज देवी
9	गुणदेव सिंह S/O आनंद सिंह	गुणदेव सिंह
10	ललित देवी W/O गुणदेव सिंह	ललित देवी
11	सरीता देवी W/O धर्मदेव सिंह	सरीता देवी
12	उमिला देवी W/O विष्णुपाल सिंह	उमिला देवी
13	रेखा देवी W/O रवीन्द्र सिंह विष्ट	रेखा देवी
14	रणवीर सिंह S/O वन्धन सिंह नेगी	रणवीर सिंह
15	श्रीमती भागेश्वरी देवी	श्रीमती भागेश्वरी देवी
16	दमयन्ती देवी W/O दलीप सिंह	दमयन्ती देवी
17	दलीप सिंह W/O ध्वज सिंह	दलीप सिंह
18	नीमा देवी W/O जोगेश्वर विष्ट	 नीमा देवी
19	धिरेंद्र सिंह S/O जोगेश्वर सिंह	

ह0/-

ग्राम प्रधान



:: प्रारूप-30.3 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में नौलापुर-खेतु-केदारगली-कोणागाड़-घोड़ियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य, लम्बाई 10.000 कि०मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ~~घोड़ियाणा~~
तहसील थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नौलापुर-खेतु-केदारगली-कोणागाड़-घोड़ियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 10.00 कि०मी० के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.485 हे० वन पंचायत भूमि। अर्थात् कुल 2.430 हे० वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~घोड़ियाणा~~ द्वारा दिनांक 3¹¹/₂ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~घोड़ियाणा~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम घोड़ियाणा की देयजल पाइपलाइन स्थापित न हो कि विभाग (सा.नि.वि.) को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

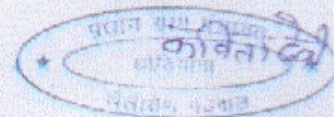
ह०

ग्राम सचिव
मुहर सहित

राजेश्वरी देवी
ग्राम सचिव
कानूनी सहायक
कानूनी सहायक

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



:: प्रारूप-30.4 ::

दिनांक 3-11-12 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत झोडियावा.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जंगलामदे श्री कल्याणामदे	
2	मोहनामदे श्री विजयलामदे	
3	विजयलामदे श्री रामलामदे	
4	जयलामदे श्री लखामदे	
5	योगेश्वरामदे श्री विजयलामदे	
6	लखामदे श्री शेरामदे	
7	कललामदे श्री लखामदे	
8	विजयलामदे श्री लखामदे	
9	शालामदे श्री लखामदे	
10	जोगेश्वरामदे श्री जगदल	
11	मोहनलामदे श्री लखामदे	
12	लखामदे श्री लखामदे	
13	शुद्धी श्री लखामदे	
14	पवनलामदे श्री लखामदे	
15	शालामदे श्री लखामदे	
16	मोहनलामदे श्री लखामदे	
17	जयलामदे श्री लखामदे	
18	शालामदे श्री लखामदे	

सावित्री देवी

सचिव

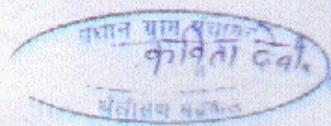
ग्राम पंचायत झोडियावा

पंचायत समिति

झोडियावा तालुका

ह0/-

ग्राम प्रधान



:: प्रारूप-30.3 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में नौलापुर-खेतु-केदारगली-कोणागाड़-घोडियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य, लम्बाई 10.000 कि०मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम सिन्दुड़ी बड़ी ग्राम - केदारगली
तहसील थलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नौलापुर-खेतु-केदारगली-कोणागाड़-घोडियाणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 10.00 कि०मी० के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.485 हे० वन पंचायत भूमि। अर्थात् कुल 2.430 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिन्दुड़ी बड़ी द्वारा दिनांक 21/12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

यहाँ के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम केदारगली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सचिव
मुहर सहित

सुमन देवी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत 25 गाड़ सिन्दुड़ी
वि०ख० बीरोंखाल
जिला पौड़ी गढ़वाल

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



:: प्रारूप-30.4 ::

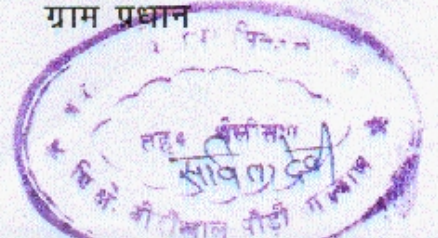
दिनांक 2¹/12 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिन्डी वडी आब - केदारगली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र सिंह गुप्ता 510 गंगा सिंह गुप्ता	देवेन्द्र सिंह
2	रणवीर सिंह गुप्ता 510 राजेंद्र सिंह "	रणवीर सिंह
3	श्रीमती जसुली देवी 510 सोहन सिंह "	जसुली देवी
4	रघुवीर सिंह गुप्ता 510 राजेंद्र सिंह "	रघुवीर सिंह
5	बलवीर सिंह गुप्ता 510 राजेंद्र सिंह "	B. S. Gupta
6	सुरजीत सिंह गुप्ता 510 सत्येंद्र सिंह "	सुरजीत सिंह
7	रणवीर सिंह गुप्ता 510 शंभु सिंह "	रणवीर सिंह
8	शैल सिंह गुप्ता 510 शंभु सिंह "	शैल सिंह
9	सखी देवी 510 शेर सिंह "	सखी देवी
10	सावी देवी 510 शंकर सिंह "	सावी देवी
11	मोहन सिंह गुप्ता 510 शंकर सिंह "	मोहन सिंह
12	गोविन्द सिंह गुप्ता 510 रेवेल सिंह "	गोविन्द सिंह
13	किरेंद्र सिंह गुप्ता 510 दान सिंह "	K. S. Gupta
14	श्री ब्रह्मानन्द शर्मा 510 जगत राम	Brahmanand
15	श्रीमती पुष्पा देवी 510 मोहन लाल शर्मा	पुष्पा देवी
16	सुनीता देवी 510 हरजल सिंह बिष्ट	सुनीता देवी
17	भाभा देवी 510 गोविन्द सिंह	भाभा देवी
18	दिनका देवी 510 रव्यात सिंह बिष्ट	दिनका देवी

ह0/-

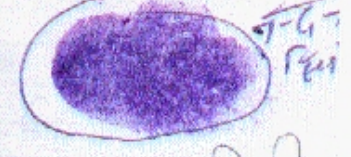
ग्राम प्रधान



- 1- श्री आनन्द सिंह वि० ५१० जगत सिंह
- 20- श्रीमती मालती देवी ५१० सुरेश सिंह
- 21- श्री आनन्द सिंह रावत ५१०
- 22- श्री मती प्रीति देवी ५१० नन्द सिंह विरेन्द्र रावत
- 23- " नन्दन सिंह रावत ५१० सुरेश सिंह
- 24- " श्रीमती मन्जु देवी ५१० रजनीर सिंह
- 25- " सुरजीत सिंह गुर्जर
- 26- पीया देवी ५१० वि० गुग्गल सिंह
- 27- राम पाल सिंह ५१० वन्दन सिंह
- 28- मनवर सिंह ५१० वन्दन सिंह
- 29- श्रीमती-सुवरी देवी ५१० शिव सिंह
- 30- " चन्दा देवी ५१० स्व-वन्दन सिंह
- 31- दान सिंह ५१० जय सिंह
- 32- कमला देवी ५१० विधान सिंह
- 33- श्रीमती कवीता देवी ५१० स्व-आनन्द सिंह
- 34- गङ्गा देवी ५१० अन्नन सिंह
- 35- सुसीला देवी ५१० स्व-जगत सिंह
- 36- सीमा देवी ५१० चन्द पाल
- 37- राजे सिंह ५१० डेलम सिंह
- 38- मंगला देवी ५१० राजे सिंह

Anand Singh

मानती देवी
आनन्द सिंह
प्रीति देवी

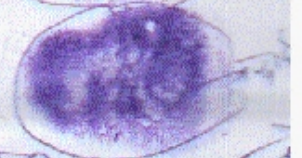


संज देवी

सुरजीत रावत

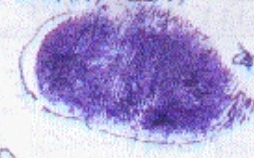
रामपाल सिंह

मनवरा सिंह



दान सिंह

कवीता देवी



गङ्गा देवी



मंगला देवी

